न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर) बांसवाड़ा (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी – नरेश बुनकर, RAS

अतिरिक्त जिला कलक्टर, बांसवाड़ा
प्रकरण संख्या : 19/2021
रजिस्ट्रेशन नं. :2021/24

राजस्थान राज्य जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बॉसवाडा हाल उदयपुर (राज)

बनाम

अभियुक्त :–

1. श्री अशोक कुमार जैन पुत्र श्री हंसराज जैन, मालिक/विक्रेता मैसर्स अशोक कुमार मनोज कुमार पुराना बस स्टेण्ड, गर्ल्स कॉलेज रोड, बॉसवाडा जिला बॉसवाडा, स्थायी पता – 2/125 जैन मन्दिर के सामने, खाटू कॉलोनी, बॉसवाडा जिला बॉसवाडा (राज.)।
2. श्री कुमार बी. सोनी, M/s Freshco food world Pvt. Ltd. Plot no.161,162 B/H Ramkrishna Tripathi School, Nobal Nagar Road, Opp- Prem Prakash Aashram, Kotarpur Ahmadabad, Gujrat
3. M/s Freshco food world Pvt. Ltd. Plot no.161,162 B/H Ramkrishna Tripathi School, Nobal Nagar Road, Opp- Prem Prakash Aashram, Kotarpur Ahmadabad, Gujrat

अपराध अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, नियम 2011

निर्णय

दिनांक 11.08.2021

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि श्री अशोक कुमार गुप्ता, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बॉसवाडा हाल उदयपुर (राज) के द्वारा दिनांक 15–06–2021 को यह प्रकरण इस आशय का पेश किया गया कि दिनांक 11–09–2020 को 11.15 ए.एम. बजे बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य पदार्थो की जाँच हेतु **मैसर्स अशोक कुमार मनोज कुमार पुराना बस स्टेण्ड, गर्ल्स कॉलेज रोड, बॉसवाडा जिला बॉसवाडा** पर पहुंचा। इस समय संस्थान पर **श्री अशोक कुमार जैन पुत्र श्री हंसराज जैन** उपस्थित थे। विक्रेता की दुकान का निरीक्षण करने पर **Mahalaxmi** Supar papad (Freshco) के 500 ग्राम वाले 20 पैकेट्स आम जनता को विक्रय हेतु पाये। इसमें मिस ब्राण्डेड, सब स्टेण्डर्ड, अनसेफ का शक होने पर विक्रेता को फार्म नं. 5ए पर मूल ही कम्पनी, पैक, सील बन्द स्थिति [illegible] जाँच हेतु खरीदने की सूचना देते उक्त **Mahalaxmi Supar** papad (Freshco) [illegible] पैकेट्स मूल ही वास्ते जॉच खरीदे तथा इनकी [illegible] को चुका कर रसीद [illegible]। जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करव[illegible] एवं तस्दीक की। वास्ते [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2022.01.28 10:58:29 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति.जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

Scanned with CamScanner

खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञापत्र/ रजिस्ट्रेशन–2020 का दिखाने को कहा जिस पर विक्रेता ने खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञप्ति/रजिस्ट्रेशन प्रस्तुत किया। नमुना जॉच हेतु खरीदशुदा **Mahalaxmi Supar papad (Freshco)** के 500 ग्राम वाले 4 पैकेट्स पर फार्म नं.5 ए पर वर्णित सभी जानकारियॉ अंकित पायी गयी। इन खरीदशुदा उक्त 4 मूल पैकेट को प्लास्टिक के चार साफ सुखे व खाली जारो में बराबर मात्रा में (प्रत्येक जार में उक्त खाद्य पदार्थ का 500 ग्राम का 1 मूल पैकेट रखकर) प्रत्येक जार का मुह ढक्कन की सहायता से कसकर एयर टाईड बन्द किया। चारो जारो को लेबल जिस पर अभिहित अधिकारी खाध सुरक्षा एवं मुख्य चिकि.एवं स्वा. अधिकारी बॉसवाडा के कोड व सिरीयल नंबर W-618 नमूना सम्बन्धित जानकारी मय गवाहान एवं स्वयं के हस्ताक्षर कर चिपकाया। प्रत्येक नमूना जार को नियमानुसार सील बन्द कर अपने जाप्ते में किया। विक्रेता को मौके पर नमुने के चौथे भाग की जॉच NABL Lab से करवाने की जानकारी दी गई। उक्त चार नमुना भागो में से एक नमूना भाग मय फार्म नं. 6 की प्रति आउटकवर में सील बन्द कर सील मोहर कर जांच हेतु खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा को जमा करवाया।

अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2020/230 दिनांक 02.11.2020 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 155 दिनांक 16.10.2020 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया **Mahalaxmi Supar papad (Freshco)** Contravention of Regulation 2.2.2(2),(c) of food safety & standards (Pakaging & Labelling) Regulation 2011 पाये जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(Zf)(C)(i) के तहत मिस ब्राण्डेड होना पाया। विक्रेता द्वारा **Mahalaxmi Supar papad (Freshco)** का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 52 के अन्तर्गत जुर्माने से दण्डित करने निवेदन किया।

प्रकरण दिनांक 16–06–2021 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर आरोपी को जरिये समन तलब किया गया।

दिनांक 11.08.2021 को अभियुक्तगणा [illegible] से श्री हीरालाल जैन अधिवक्ता का अभिभाषक पत्र प्रस्तुत हुआ [illegible] सुना गया। विद्वान अधिवक्ता की ओर से कथ[illegible] Mahalaxmi Supar papad (Freshco) के पैकेट्स पर कुछ आंशिक कमियॉ [illegible] जिन्हे अब दुर कर लिया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2022.01.28 10:58:29 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति.जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

Scanned with CamScanner

अप्रार्थीगणो का यह प्रथम दोष है। न्यायालय जो भी जुर्माना करे, वह स्वीकार है। प्रकरण में आरोपीगणो की ओर से अपराध स्वीकार कर लेने के कारण अन्य किसी साक्ष्य की अब आवश्यकता नहीं रहती है।

हमने पत्रावली का एवं पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों का भी गहनता पूर्वक अवलोकन किया एवं उस पर मनन किया। अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2020/230 दिनांक 02.11.2020 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 155 दिनांक 16.10.2020 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया **Mahalaxmi Supar papad (Freshco)** Contravention of Regulation 2.2.2(2),(c) of food safety & standards (Pakaging & Labelling) Regulation 2011 पाये जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(Zf)(C)(i) के तहत मिस ब्राण्डेड का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है। प्रकरण में अभियुक्तगणो की ओर से भी अपराध स्वीकार किया गया है। ऐसी स्थिति में अब किसी अन्य साक्ष्य की आवश्यकता प्रतित नही होती हैं। इस कारण प्रकरण का अंतिम निस्तारण किया जाना हम उचित समझते है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(Zf)(C)(i) के तहत मिस ब्राण्डेड किया गया **Mahalaxmi Supar papad (Freshco)** को विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन होना पाया गया। जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 52 का उल्लंघन किया है आरोपी को दोष सिद्ध घोषित किया जाकर **श्री अशोक कुमार जैन पुत्र श्री हंसराज जैन, मालिक/विक्रेता मैसर्स अशोक कुमार मनोज कुमार पुराना बस स्टेण्ड, गर्ल्स कॉलेज रोड, बॉसवाडा जिला बॉसवाडा** को रूपये 10,000/- (अक्षरे रू. दस हजार मात्र), **श्री कुमार बी. सोनी, M/s Freshco food world Pvt. Ltd. Plot no.161,162 B/H Ramkrishna Tripathi School, Nobal Nagar Road, Opp- Prem Prakash Aashram, Kotarpur Ahmadabad, Gujrat** को रूपये 15000/- (अक्षरे रू. पंद्रह हजार मात्र), **M/s Freshco food world Pvt. Ltd. Plot no.161,16**[illegible]**mkrishna Tripathi School, Nobal Nagar Road, Opp- Prem P**[illegible]**Ahmadabad, Gujrat** को रूपये 15000/- (अक्षरे रू. पंद्रह [illegible] के अर्थ[illegible] से दण्डित किया जाता है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के 3.1.2 के [illegible] संख्या 3 में उल्लेखित आय मद 0210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 04-लोक स्वास्थ्य, 800-अन्य प्राप्तियां, (03)-खाद्य

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2022.01.28 10:58:29 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति. जिला कलक्टर)

Scanned with CamScanner

सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा–पत्र शुल्क आदि में उक्त जुर्माना राशि तीन दिवस में राजकोष में जमा कराकर चालान की प्रति इस न्यायालय में पेश करे। खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बॉसवाडा आरोपी को जुर्माना राशि का चालान जमा कराने पाबंद करे तथा जमा राशि का चालान प्राप्त कर प्रति इस न्यायालय में पेश करे।

निर्णय आज दिनांक 11.08.2021 खुले न्यायालय सुनाया गया।

(नरेश बुनकर)
न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति0 जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2022.01.28 10:58:29 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner